Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JHUNJHUNU

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 22-10-2018 10:58 AM

Fee Receipt No	: 201802228005870	Receipt Date	: 22/10/2018
Name	: NAGAR PARISHAD,JHUNJHUNU,	Document S. No.	: 201801228006624
Address	: ...		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 1867088	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 18671	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 18672	Stamp Duty	: ₹ 93355
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 130998
		Total Amount	: ₹ 130998

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 25893824 ₹ 130998

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
SUB-REGISTRAR
झुंझुनूं (राज.)

Cashier

परिशिष्ठ

श्रीमती वसुंधरा राजे
मुख्यमंत्री–राजस्थान सरकार

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर-20

कार्यालय नगरपरिषद् झुन्झुनूं (राजस्थान

पट्टा विलेख/शाश्वत लीज डीड

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख।

क्रमांक 423.

दिनांक 28.09.2018

यह विलेख आज दिनांक 28.09.2018 को नगर परिषद् झुन्झुनूं (जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया हैं) प्रथम पक्ष एवं राजस्थान पब्लिक स्कूल संस्थान जारी ... (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया हैं) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे।) के मध्य निष्पादित हुआ हैं।

यह विलेख सांक्ष्याकित करता हैं कि प्रीमियम 1157365/- तथा विकास शुल्क 478250/- की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया हैं।) प्रदान और लीज करती हैं जो ले–आउट प्लान गणपति नगर पार्ट - I .... की स्वीकृति में प्लाट नं0 186 A, साईज 9565.00 वर्ग गज दिशाएं मानचित्रानुसार .... के लगभग हैं और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ठ में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित हैं तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया हैं, ओर जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्न लिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणो, प्रतिबन्धों, बन्धनों, शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा।

भूखण्ड का विवरण

कॉलोनी का नाम – गणपति नगर पार्ट - I

चतुर्दिक सीमाएं

उत्तर	P.NO- 154-D	माप	422'-6"	फुट
दक्षिण	P.NO- 93, 94, 95, 96	माप	578'-3"	फुट
पूर्व	RASTA 20'+ P.NO- 152	माप	200'-0"	फुट
पश्चिम	P.NO- 186	माप	200'-0"	फुट
क्षेत्रफल	9565.00 Sq-Yds.			

मानचित्र/नजरी नक्शा

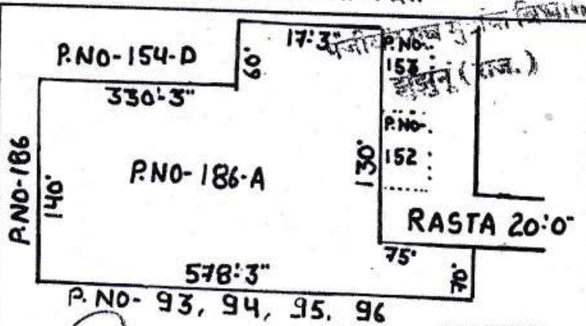

कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपरिषद्, झुंझुनूं

सहायक अभियन्ता
नगरपरिषद्, झुंझुनूं

भवन मानदण्ड प्रचलित भवन विनिमय के अनुसार देय होंगे।

कॉलोनी का नाम	गणपति नगर पार्ट
भू. सं.	186A
भू–स्वामी का नाम	राजस्थान पब्लिक ... संस्था जरिये अध्यक्ष

शर्तें निम्नानुसार :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उपनियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 925892/- 8 गुणा एक मुश्त जमा करवायी जा चूकी हैं। अतः भावी दायित्व से मुक्ति प्रदान की जाती हैं।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण यथा स्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. भूखण्ड को यदि भविष्य में जनहित सड़क चौड़ी करने के लिए आवाप्त किया जाता हैं तो मुवावजा राशि नियमन के पेटे जमा करायी गई राशि एवं 6 प्रतिशत ब्याज दिया जावेगा। भूखण्ड पर यदि कोई निर्माण कर लिया गया हैं तो उसके लिए प्रचलित पीडब्लूडी बीएसआर के अनुसार राशि देये होगी।
4. यदि यह पाया जाता हैं कि यह लीज किसी तथ्य को छुपाने, अशुद्ध कथन दुर्व्यपदेशन या कपट से प्राप्त की गई हैं तो इस लीज को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर निकाय मे निहित होगा।
5. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
6. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल शैक्षणिक .... जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी हैं, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
7. इस पट्टाविलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम – 26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा उक्त भूखण्ड पर भवन का निर्माण करवाया जायेगा।
8. लीजधारक उक्त भू–खण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपलब्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भू–खण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया हैं या अन्तरित किया गया हैं। लीज धारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जावेगी। किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
9. उक्त भू–खण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ 10 प्रतिवर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त कि जायेगी परन्तु लीज धारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधिन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
10. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीज धारक के रूप में वसूलीय होगा।
11. यदि आंबटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता हैकि आंबटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपट पूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्रगाप्त किया गया हैं या आबंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया हैं। नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रकारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
12. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एचडीएफसी अथवा नैशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।
13. राज्य सरकार/प्रथम पक्ष द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना के लिए द्वितीय पक्ष पाबन्द रहेगा। भूखण्ड के वाद की समस्त जिम्मेवारी द्वितीय पक्ष की होगी।
14. यह पट्टा विलेख भूमि का आंवटन पत्र है न कि भू खण्ड पर निर्मित भवन का नियमितिकरण।

प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों पर और तारीखों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर आवंटी

आयुक्त
नगरपरिषद् झुंझुनूं

सभापति
नगरपरिषद् झुंझुनूं

Presentation Endorsement

आज दिनांक 22 माह 10 सन् 2018 को 10:47 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री RAJASTHAN PUBLIC SCHOOL BY.DEVIDAT
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री GANGARAM
उम्र 59 वर्ष, जाति NAYAK , व्यवसाय Business
निवासी House No.:NO, Colony: WARD NO.35, Area: JJN , City: JJN,
Pin code: 333001, District: , State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
201801228006624

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JHUNJHUNU

Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802228005870
दिनांक	22-10-2018
पंजीयन शुल्क ₹	18671
प्रतिलिपि शुल्क ₹.	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	93355
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	18672
कुल योग	130998

201801228006624

उप पंजीयक,
JHUNJHUNU

Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री NAGAR PARISHAD,JHUNJHUNU, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री COMMISNOR, व्यवसाय जाति Nagar Palika			Executant Age : 0 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री RAJASTHAN PUBLIC SCHOOL BY DEVIDAT , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री GANGARAM , व्यवसाय Businessजाति NAYAK House No.:NO, Colony: WARD NO.35, Area: JJN , City: JJN, Pin code: 333001, District: , State: RAJASTHAN	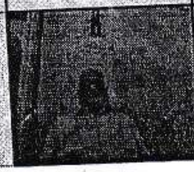		Claimant Age : 59 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रू 1867088/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 1867088/- पूर्व में ———— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री DHANRAJ SAIN , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RADHESHYAM जाति JAT Age: 40 Add: House No.:NO, Colony: KISSAN COLONY, Area: JJN , City: JJN, Pin code: 333001, District: , State: RAJASTHAN	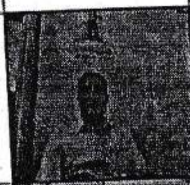	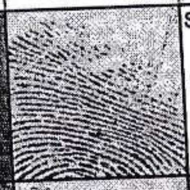	Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री MADHUR DHUKIA , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री LALCHAND DHUKIA जाति JAT Age: 21 Add: House No.:NO, Colony: GANPATI NAGAR , WARD NO.05, Area: JJN , City: JJN, Pin code: 333001, District: , State: RAJASTHAN			Signature

उप पंजीयक, JHUNJHUNU

201801228006624

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रू 1867088 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रू 93355 पर कमी पंजीयन शुल्क रू 18671, सरचार्ज राशि 18672 कुल रू 130698 रसीद संख्या 201802228005870 दिनांक 22-10-2018 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रू 93355 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801228006624 उप पंजीयक, JHUNJHUNU

Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 22/10/2018 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 576 में

पृष्ठ संख्या 64 क्रम संख्या 201803228104083 पर पंजीबद्व किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2007 के

पृष्ठ संख्या 141 से 150 पर चस्पा किया गया ।

201801228006624 उप पंजीयक, JHUNJHUNU

Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of khatedar himself. (in favour of male)